

४५

एकार्यी० निः
विषय सचिव
नाम० शास्त्र

सौवा को

विदेशक.

राज्य नगरीय विभास अमेरिण,
कुप्र०, लखनऊ।

चलनक : दिनांक : २० अगस्त, २०१५

नगरीय रोज़गार एवं गरिबी
उन्नति कार्यक्रम विभाग।

प्रमुख विषयक संघरण प्रभाग

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संध्या-४३ के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुसूचित जाति दाकुत्य वरितर्थी दगा नगरीय मतिन बारतर्थी में आसरा योजनान्तर्गत रिलोकेशन आवासों की ०१ परियोजना की वित्तीय स्थौरूति ।

五〇三

महोदय, अग्रिमता का विवरण है-
 श्रीमुख विषयक आपके पाँच संख्या 1231/185/10/31/विविध/आसारा/तकनीकी (उरीली-करीदापुर-336) दिनांक 25 जून, 2015 के संदर्भ में नुझे यह कहने का लिखा हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वाहुल्य वित्तीय तथा नगरीय मलिन विस्तरों में आसारा योजना (भवासीय मदन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या 83 में निम्नलिखित ताजिका में अनिवार्य जनपद दोनों की निकाय-करीदापुर की 134 रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना हेतु ₹ 655.49 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्थैकृति सहित, उक्त के सापेक्ष तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किशन के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि 327.745 लाख (रुपये तीन करोड़ सत्ताइन लाख छौहत्तर हजार पाँच सौ भाव) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवर्णों के भवीत समय स्थैकृति प्रदान करते हैं-

राज्यपाल महादय जिला(लखनऊ राज्य) का							(प्रतीक्षा वर्ष)
क्रम संख्या	जनसंख्या का नाम	कुल आवासों की संख्या	परियोजना की कुल अपवाहन का सुविधाओं सहित कुल आवासों की संख्या	अनुदानित गण के सामाजिक सुविधाओं की आवासों की संख्या	मंगूरुचिक वर्ष के सामाजिक परियोजना की मंदरवायपन सुविधाओं की संख्या कुल आवासों की संख्या।	प्रथम क्षेत्र (50 प्रतिशत) के रूप में स्थानीकृत की जाने वाली धारारक्षि (सेन्टर) चार्ज एवं लेवर रोस तहित।।	
1	दरेली/परीटपुर	336	1643.61	134	655.49	327.745	7
		गोम		134	655.49	327.745	


- उक्त भनसपी का व्यव आवश्यकोंजना (आधारीय अवल) के सुरक्षित में जारी होता रहेगा। शासनदेश संघर्षा- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासनदेश संघर्षा-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा लिईश/व्यवस्था का पूर्णकारण अनुमालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
 - प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तापुलितक खण्ड-6 के उद्धार-12 के प्रस्तर-318 में घोषित व्यवस्था के अनुसार पायोजना पर सक्रम स्तर से उक्तीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्रम स्तर से उक्तीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

-2/-

कृता/मानविकी

3. प्रायोजन का निर्माण करने से पूर्व नियमित विभाग/संसदीय समिति द्वारा अधिकारण/संसदीय लैंडल अधिकारी तो स्वीकृत बताया जायेगा। इसके अनुसार एवं परिवर्तनीय वित्तवरक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कर दिया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजन का रद्दा एवं मूल्यांकन प्रमाण/राज्य सत्रोप समिति संसदीय द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिवर्त्यों के अन्तर्गत उपर्युक्त अनुसार विहित नद में व्यवहार की जाएगी। अन्यथा परियोजना में भावकीर्तन द्वारा फल, आनंदित एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्य नहीं दिया जायेगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/नद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यवहार प्रत्येक दशा में उसी व्यवहार के अनुसार किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजना का गुणवत्ता व परदर्शित के साथ पूर्ण करायी जाएगी एवं किसी प्रकार का कारत एस्केलेशन नहीं होगा।
6. सूड़ा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य समिति अथवा किसी अन्य ओत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में समिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यवहार के अन्तर्गत होने या कार्य किया जायेगा। द्विरात्रि/पुनरावृत्ति न हो इसे सूड़ा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उत्तेजनायी परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में बढ़ि पूर्व किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदारी संभाल द्वारा ताक़ीरी की स्वीकृत होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यवहार परिवर्तन से अधिक यूप्र पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विघार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीट आवासों के भू-स्थानियों के भू-स्थानियों का संचयन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूड़ा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यवहार प्रत्ति समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाए व व्यवहार वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि दंक के माध्यम से आहरण के परवात राज्य नगरीय विकास अभियान व सम्बन्धित दृष्टि द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परियार्द्धों का सकार स्तरीय लिंगाकरण कराकर गुणवत्ता आदि विनायित सहित यथारेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल तम्बनियत इडा/साक़ आशयम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उत्तानुसार सभी यहानुसार पर आश्वस्त हो जाएगी।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०००, लखनऊ द्वारा प्रमुख संविधान/संविधान अथवा विशेष संविधान नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नति कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), ३०००, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाजार संघर्ष, लिंगि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर दंक/डाकघर/डिपोजिट आते व यौ०ए०००००० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के कर्तों की स्त्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्यों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

14. इस विधायी का उपर्युक्त चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेक्टर अम्बर नगर निया जाए गये योजना तंत्रजन प्रथम बिश्व के रूप में स्फोटहृत उक्त धनराशि को 75 परिशेष धनराशि देय हो जाने के पश्चात उसके साथेहर औरतेक प्रगति/गुणवत्ता से सुधार होने के पश्चात उपर्योगित प्रभाण-पर आवाद का तर्जप से उपलब्ध कराया जायेगा। उद्देश्यात्मक योजना की अपशेष/द्वितीय प्रवर्तन की धनराशि अवगमन की जायेगी। निर्धारित आवाद के बाद उपर्योगित धनराशि बोंद कोई हो। तो एकद्वितीय शासन को दायर स करनी होगी।
15. निदेशक/सापेक्ष राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, तदनन्तर आहरण की वर्षावता पर अपने लेखों का नियन्त्रण गहनतेप्रकार के बाधीत्य के लेख से अपरद्य करवेंगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावदवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम०ओ००७०) विष्यादित किए जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इकाई को विर्द्धित किया जायेगा।
17. स्फोटहृत की जा रही धनराशि वा उपर्युक्त योजना आवाद, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एन०सौ०एस०पी०/टी०एस०पी० हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुमुचित जाति के हिए ही किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आवादवाक में अनुदान संख्या-83 के अन्वर्गत लेख शीर्षक “4216-आवास पर पूर्वीगत परिवाय-आयोजनागत-02 शहरी आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-आसरा योजना (आवासीय अवाद)-24-दृढ़ निर्माण कार्य” के जामे छाता जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अध्या० संख्या-ई-३ 2287/दस-2015 दिनांक 14 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

मवदीय

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव

संख्या-८७/२०१५/१६७४(१)/६९-१-१५, तदिनांक।

प्रोत्तिसिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवादवाक कार्यवाही हेतु द्रेवित-

1. महासेवायाद (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र०,२० सरोजनी नगर, झारू झार, हमारायाद।
2. निदेशक, स्थानीय लिपि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां हल, संगम प्लॉस, लिपिल लालून, हमारायाद।
3. सपिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नयन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
4. वित्तादिकारी/उपर्युक्त, जिला नगरीय विकास अभियान, बरेली।
5. वित्त (व्यवस्थापन) अनुमान-४, 30प्र० शासन।
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण वियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र० शासन।
8. नुरुप सोशलाडिकारी, जयाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त विभाग, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ।
10. सहायक वेब ग्रास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गाँड़ फाइल/कपड़पूटर सम्पर्क/बजट सम्पर्क।

आजा से,

(एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।